भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1449
12/12/2025 को उत्तरार्थ

विषय- पीएमएफबीवाई के अंतर्गत राहत

1449. श्री कपिल सिब्बलः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2025-26 सीजन के लिए प्रमुख रबी फसलों हेतु निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) कितना है;

(ख) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों में अक्टूबर 2025 में बेमौसम बारिश के कारण फसल को कितना नुकसान हुआ; और

(ग) प्रभावित किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत घोषित राहत पैकेजों का ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक कितने दावे संसाधित किए गए?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): रबी फसल सीजन 2025-26 (रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

रबी मार्केटिंग सीजन 2026-27 हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
(रुपये प्रति क्विंटल)

	रबी फसलें	एमएसपी
1	गेहूं	2585
2	जौ	2150
3	चना	5875
4	मसूर (लेंटिल)	7000
5	सरसों	6200
6	कुसुम	6540

(ख): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता वितरण सहित आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पूर्व-निर्धारित राज्य आपदा अनुक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है और आवश्यक लॉजिस्टिक्स एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे पर आधारित आकलन

भी शामिल है। गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त सूचना के अनुसार, मानसून 2025 के दौरान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित फसल क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान (दिनांक 27.11.2025 तक) जल-मौसम संबंधी आपदाओं के कारण हुई क्षति का विवरण

राज्य	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
उत्तर प्रदेश	2.22
मध्य प्रदेश	0

(ग): सरकार ने खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की है, जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से फसल हानि/क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आय को स्थिर करना है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पीएमएफबीवाई के तहत हाल के मौसमों में पंजीकृत किसानों के आवेदनों, बीमित क्षेत्र और भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है।

पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस: दिनांक 31-10-2025 तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संबंधित रिपोर्ट

राज्य	सीजन	बीमित आवेदन	बीमित क्षेत्र	भुगतान किए गए दावे
		(संख्या में)		(रुपये करोड़ में)
मध्य प्रदेश	ख़रीफ़ 2024	97,55,618	47,08,564.69	1,123.52
	रबी 2024	82,49,383	40,74,610.38	165.67
	ख़रीफ़ 2025	1,01,19,591	45,00,949.28	8.95
उत्तर प्रदेश	ख़रीफ़ 2024	50,81,617	11,25,542.55	287.51
	रबी 2024	56,94,149	10,91,876.93	136.43
	ख़रीफ़ 2025	61,55,264	10,19,489.39	98.23
